

**कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)**

विज्ञापन क्रमांक 39012/73/स्था./प्र.अ./17 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2020

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-07/2016/19/स्था.-3 नया रायपुर दिनांक 27.06.2017 द्वारा विभाग में नियमित स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी (राजस्व संभाग सरगुजा/बस्तर को छोड़कर) के शीघ्रलेखक के 02 पद, स्टेनो टायपिस्ट के 15 पद, डाटा एन्ट्री आपरेटर के 39 पद तथा सहायक ग्रेड-3 के 39 पद रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर से माध्यम से सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हेतु दी गई सहमति के आधार पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.02.2015, पत्र क्रमांक एफ 20-4/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 25.08.2015 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 09.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के सीधी भर्ती हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर के 02 बैकलॉग पदों एवं सहायक ग्रेड-3 के 01 बैकलॉग पदों की रिक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

- | | |
|--|--|
| 1. परीक्षा की तिथि | - 19 अप्रैल 2020 (रविवार) |
| 2. परीक्षा का समय :- | |
| (अ) डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 | - पूर्वान्ह |
| (ब) शीघ्रलेखक (हिन्दी) एवं स्टेनो टायपिस्ट | - अपरान्ह |
| 3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | - 14.02.2020 (शुक्रवार) से 08.03.2020 तक |
| 4. परीक्षा केन्द्र : 05 संभागीय मुख्यालय में | - अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रायपुर |

रिक्त पदों की संख्या - शीघ्रलेखक (हिन्दी) - 02, स्टेनो टायपिस्ट - 15,
डाटा एन्ट्री आपरेटर - 41 एवं सहायक ग्रेड-3 - 40 पद

परीक्षा निर्देश - व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें विभाग द्वारा जारी विस्तृत पदवार/जिलेवार विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्कैन करने एवं पोस्ट करने की तिथि, ऑनलाईन पेमेंट की विधि, अभ्यर्थी को प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर के आधार पर ऑनलाईन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा अन्य जानकारी दी गई है।

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

(Handwritten signature and date)

**कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)**

क्रमांक 39012 174 /स्था./प्र.अ./17

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2020

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-07/2016/19/स्था.-3 नया रायपुर दिनांक 27.06.2017 द्वारा विभाग में नियमित स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी (राजस्व संभाग सरगुजा/बस्तर को छोड़कर) के शीघ्रलेखक के 02 पद, स्टेनो टायपिस्ट के 15 पद, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 39 पद तथा सहायक ग्रेड-3 के 39 पद रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर से माध्यम से सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हेतु दी गई सहमति के आधार पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-7/2016/19/स्था.-3 दिनांक 25.09.2018 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 के अनुसार उपरोक्त पदों को भरे जाने हेतु दिये गये निर्देशानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.02.2015, पत्र क्रमांक एफ 20-4/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 25.08.2015 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामाजिक कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 09.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के सीधी भर्ती हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 02 बैकलॉग पदों एवं सहायक ग्रेड-3 के 01 बैकलॉग पदों की रिक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

- | | |
|---|--|
| 1. परीक्षा की तिथि | – 19 अप्रैल 2020 (रविवार) |
| 2. परीक्षा का समय :-
(अ) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3
(ब) शीघ्रलेखक (हिन्दी) एवं स्टेनो टायपिस्ट | – पूर्वान्ह
अपरान्ह |
| 3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | – 14.02.2020 (शुक्रवार) से 08.03.2020 तक |
| 4. परीक्षा केन्द्र : 05 संभागीय मुख्यालय में | – अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रायपुर |

रिक्त पदों का विवरण

(A) सामान्य रिक्तियां :-

क्र	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार कुल संख्या (1)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से वर्गवार मुक्त पदों की संख्या (2)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या (3)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से श्र.प्र. सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (4)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या (5)					
			UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	U	S	T	S	O	B	C	कुल	U	S	T	S	O	B	C	कुल
1	रायपुर	शीघ्रलेखक	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बिलासपुर		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग			1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्र	जिले का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार कुल संख्या (1)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से वर्गवार मुक्त पदों की संख्या (2)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या (3)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से भ्रू.पू. सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (4)					कालम 1 में अंकित कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या (5)					
			UR	ST	SC	OBC	कुल	UR	ST	SC	OBC	कुल	U	R	S	C	O	B	C	कुल	U	R	S	C	O	B	C	कुल
2	कवर्धा	स्टेनो टायपिस्ट	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राजनांदगांव		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बालोद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	दुर्ग		1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बेमेतरा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	धमतरी		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बलौदाबाजार भाटापारा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	महासमुंद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	मुंगेली		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जांजगीर चांपा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	रायगढ़		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बिलासपुर		1	1	1	-	3	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग		12	2	1	-	15	12	2	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	कवर्धा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राजनांदगांव		2	1	-	-	3	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बालोद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	दुर्ग		1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बेमेतरा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	धमतरी		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	गरियाबंद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बलौदाबाजार भाटापारा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	महासमुंद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बिलासपुर		4	2	1	1	8	3	2	1	1	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जांजगीर चांपा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	रायगढ़		1	1	-	1	3	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	रायपुर		8	2	5	-	15	5	2	4	-	11	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
योग	24	7	6	2	39	20	7	5	2	34	3	-	1	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1		

4	कवर्धा	सहायक ग्रेड-3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	राजनांदगांव		2	1	-	-	3	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बालोद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	दुर्ग		1	1	-	1	3	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बेमेतरा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	धमतरी		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	गरियाबंद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बलौदाबाजार भाटापारा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	महासमुंद		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	बिलासपुर		5	2	2	1	10	4	2	2	1	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	मुंगेली		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जांजगीर चांपा		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	रायगढ़		1	1	-	1	3	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रायपुर	7	1	2	1	11	5	1	2	1	9	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
योग	25	6	4	4	39	22	6	4	4	36	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(B) बैकलॉग रिक्तियां :-

क्र.	जिले का नाम	पद का नाम	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1	रायपुर	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01 पद (OA, OL, OAL, BL), 01 पद (HH) कुल 02 पद
2	रायपुर	सहायक ग्रेड-3	01 पद (OA,OL,OAL,BL,B,LV,HH) कुल 01 पद

यह नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्ययीन होगी।

नियम एवं शर्तें :-

(1) वेतनमान का विवरण -

स.क्र.	पद का नाम	वेतनमान
1.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	वेतन मैट्रिक्स 28700-91300 (लेवल-7)
2.	स्टेनो टायपिस्ट	वेतन मैट्रिक्स 19500-62000 (लेवल-4)
3.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	वेतन मैट्रिक्स 25300-80500 (लेवल-6)
4.	सहायक ग्रेड-3	वेतन मैट्रिक्स 19500-62000 (लेवल-4)

(2) शैक्षणिक योग्यता -

शीघ्रलेखक (हिन्दी) पद हेतु :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से :-
(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए - हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

डाटा एन्ट्री आपरेटर पद हेतु :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

- (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की प्रति। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

सहायक ग्रेड-3 पद हेतु :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।


- (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

- (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 :- पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2017/1-3 दिनांक 22.01.2018 के निर्देशानुसार निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को ही मान्य किया जावेगा :-

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

उक्त परिपत्र दिनांक 22.01.2018 की कांडिका-3 अनुसार उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तकनीकी अर्हता कम्प्यूटर विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA को भी शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु मान्य किये जाने का निर्देश है।



(3) पात्रता की शर्तें —

- (i) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र, काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (ii) अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी)। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 616/922/1 (3)/74 दिनांक 18.09.1974 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छूट रहेगी। किन्तु उन्हें नियुक्ति के पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- (iii) अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (iv) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें। अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरे। परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(4) आयु —

- एक (क) दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार समस्त छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला-रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 में दिये गये निर्देशानुसार)
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी (छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्र. एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के निर्देशानुसार)।
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिलनीय होगी :-
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द “छंटनी किये गये शासकीय सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :-

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं)।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छःमाह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव गांधी सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु-सीमा में, 08 वर्ष की सीमा के

अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- (अ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (ठ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/02/1/3 दिनांक 02.06.04 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा वह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

टीप - (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 4 के खंड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(5) निरर्हता -

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये, परंतु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो

उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 04.12.2012 के निर्देशानुसार रखा गया है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण नियमों का पालन करने हेतु किसी भी संवर्ग में पदों की सीधी भरती के समय प्रत्येक प्रवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना की जाएगी। पदों की गणना केवल पूर्णांकों के अनुसार ही की जाएगी। अर्थात् पदों की संख्या की गणना में दशमलव के अंक को मान्य नहीं किया जाएगा।
3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर जिला - रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी तथा उपरोक्त पदों हेतु विभाग को पदवार/जिलेवार मेरिट सूची उपलब्ध करायी जावेगी।
4. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर जिला - रायपुर द्वारा शीघ्रलेखक तथा स्टेनो टायपिस्ट हेतु पदवार/जिलेवार रिक्त पदों के विरुद्ध 01:10 में तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 पद हेतु पदवार/जिलेवार रिक्त पदों के विरुद्ध 01:05 में अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर कम्प्यूटर कौशल/दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
5. कौशल परीक्षा में दक्षता के आधार पर परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची व्यापम द्वारा विभाग को सौंपी जावेगी। कौशल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
7. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.) को होगा।
8. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
11. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना दी जावेगी।
12. चयन के लिए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
13. छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर होगी। तत्पश्चात् योग्य पाये जाने पर नियमित किया जायेगा।
14. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियों को काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों को भी अपने साथ लाना होगा।
15. सीधे प्राप्त हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
16. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है।
17. तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को नियुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

18. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
19. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
20. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
21. प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहेगी।
22. व्यापम द्वारा ऑनलाईन एडमिट कार्ड जारी किया जावेगा। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा।
23. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, परिशिष्ट-I में दिये गये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
25. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के अलावा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग आवेदकों से नहीं की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 के कंडिका-6 (2) के अनुसार "आरक्षित पद पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपर्युक्त अनुक्रम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जावेगा, जिसमें प्रमाण-पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू राजस्व की भांति वसूल किए जाने से सहमति एवं प्रवृत्त कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

26. विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
27. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः Online आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

परीक्षा निर्देश – व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्केन करने एवं पोस्ट करने की तिथि, ऑनलाईन पेमेंट की विधि, अभ्यर्थी को प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर के आधार पर ऑनलाईन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा अन्य जानकारी दी गई है।


प्रमुख अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
 27/09/2020